SEBI और डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित लाभकारी स्वामी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी के अधिकार और दायित्व

सामान्य खंड

- 1. लाभकारी स्वामी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, SEBI (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम और विनियम, उनके तहत जारी परिपत्र/सूचनाएं/दिशानिर्देश, डिपॉजिटरी द्वारा जारी उपविधि और व्यापार नियम/ऑपरेटिंग निर्देश और समय-समय पर लागू सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक सूचनाओं के प्रावधानों से बंधे होंगे।
- 2. DP केवल पूर्ण खाता खोलने का फॉर्म, KYC और SEBI द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सहायक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद ही डिपॉजिटरी सिस्टम में लाभकारी स्वामी का डिमैट खाता खोले/सक्रिय करेगा।

लाभकारी स्वामी की जानकारी

- 3. DP लाभकारी स्वामी(यों) के सभी विवरणों को, जैसा कि खाता खोलने के फॉर्म में उल्लेखित है, उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ों और/या लाभकारी स्वामी से संबंधित किसी अन्य जानकारी को गोपनीय रूप से रखेगा और इसे किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि किसी वैधानिक, कानूनी या नियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आवश्यक हो।
- 4. यदि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, जैसा कि डिमैट खाता खोलते समय या समय-समय पर DP को प्रस्तुत किया गया था, तो लाभकारी स्वामी को तुरंत लिखित रूप में DP को सूचित करना होगा।

शुल्क/प्रभार/टैरिफ

- 5. लाभकारी स्वामी को प्रतिभूतियों को डिमैट रूप में रखने और स्थानांतरण करने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए DP को वह शुल्क देना होगा, जैसा कि DP और लाभकारी स्वामी के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार DP द्वारा प्रदान की गई टैरिफ शीट में निर्धारित है। लाभकारी स्वामी को सूचित किया जा सकता है कि "डिमैट खाता खोलने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है"।
- 6. बेसिक सर्विसेज डिमैट खातों के मामले में, DP को समय-समय पर जारी प्रासंगिक SEBI और/या डिपॉजिटरी परिपत्रों/निर्देशों/सूचनाओं के तहत निर्धारित शुल्क संरचना का पालन करना होगा।
- 7. DP किसी भी सहमत शुल्क/टैरिफ को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि उसने लाभकारी स्वामी को इसके बारे में कम से कम तीस दिन पहले लिखित सूचना न दी हो।

डीमैटरीकरण

- 8. लाभकारी स्वामी को यह अधिकार होगा कि वह डिपॉजिटरी में स्वीकृत प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के उपविधियों, व्यापार नियमों और ऑपरेटिंग निर्देशों के तहत निर्धारित रूप और तरीके में डीमैट करा सके।

अलग खाते

- 9. DP प्रत्येक लाभकारी स्वामी के नाम से अलग खाते खोलेगा और प्रत्येक लाभकारी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग रखेगा तथा उन्हें अन्य लाभकारी स्वामियों की प्रतिभूतियों और/या DP की स्वयं की डिमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के साथ नहीं मिलाएगा।
- 10. DP लाभकारी स्वामी को डिमैटरीकरण के लिए प्रस्तुत या डिमैट खाते में रखी गई ऐसी किसी भी प्रतिभूति पर गिरवी/हाइपोथिकेशन या अन्य कोई हित या भार बनाने या अनुमति देने की सुविधा नहीं देगा, सिवाय इसके कि डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, SEBI (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 और डिपॉजिटरी के उपविधि/ऑपरेटिंग निर्देश/व्यापार नियमों में निर्धारित रूप और तरीके में हो।

प्रतिभूतियों का स्थानांतरण

- 11. DP केवल लाभकारी स्वामी द्वारा विधिवत अधिकृत आदेश, निर्देश, दिशा या आदेश के आधार पर ही लाभकारी स्वामी के डिमैट खातों में से/में प्रतिभूतियों का स्थानांतरण करेगा और ऐसे प्राधिकरणों के मूल दस्तावेज़ और ऑडिट ट्रेल रखेगा।

- 12. लाभकारी स्वामी को अपने डिमैट खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट के संबंध में स्थायी निर्देश देने का अधिकार है और DP को ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- 13. शेयर ब्रोकर/शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी प्रतिभागी ग्राहकों को पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) या डिमैट डेबिट और प्लेज इंस्ट्रक्शन (DDPI) निष्पादित करने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से बाध्य नहीं करेंगे और यदि ग्राहक PoA या DDPI निष्पादित करने से इनकार करता है तो उसे सेवाएं देने से इनकार नहीं करेंगे।

खाते का विवरण

- 14. DP लाभकारी स्वामी को खाते का विवरण उस रूप और तरीके में और उस समय प्रदान करेगा जैसा कि लाभकारी स्वामी के साथ सहमति हुई है और SEBI/डपॉजटिरी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।
- 15. हालांकि, यदि डिमैट खाते में कोई लेन-देन नहीं है, या वर्ष के दौरान शेष राशि शून्य हो गई है, तो DP ऐसे लाभकारी स्वामियों को वार्षिक रूप से एक भौतिक होल्डिंग विवरण भेजेगा और खाते में लेन-देन होने पर लेन-देन विवरण भेजना फिर से शुरू करेगा।
- 16. यदि लाभकारी स्वामी चाहे तो DP डिमैट खातों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी करने की सेवा प्रदान कर सकता है। DP लाभकारी स्वामी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत शासित अपनी डिजिटल हस्ताक्षर के तहत डिमैट खातों का विवरण प्रदान करेगा। हालांकि, यदि DP के पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिमैट खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा नहीं है, तो प्रतिभागी को भौतिक रूप में डिमैट खातों का विवरण भेजना अनिवार्य होगा।
- 17. बेसिक सर्विसेज डिमैट खातों के मामले में, DP को समय-समय पर SEBI और/या डिपॉजिटरी द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार लेन-देन विवरण भेजना होगा।

डिमैट खाता बंद करने का तरीका

- 18. डीपी को किसी भी कारण से लाभार्थी स्वामी का डिमैट खाता बंद करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि डीपी ने लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी दोनों को कम से कम तीस दिन पहले लिखित सूचना दी हो। इसी प्रकार, लाभार्थी स्वामी को भी डीपी के पास रखे अपने डिमैट खाते को बंद करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उस पर डीपी के प्रति कोई शुल्क बकाया न हो। ऐसी स्थिति में, लाभार्थी स्वामी को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके डिमैट खाते में शेष राशि को किसी अन्य डीपी के पास अपने किसी अन्य डिमैट खाते में स्थानांतरित किया जाए या सुरक्षा शेष को फिर से भौतिक रूप में लिया जाए।
- 19. लाभार्थी स्वामी के निर्देशों के आधार पर, डीपी ऐसी सुरक्षा शेष को स्थानांतरित करने या उन्हें फिर से भौतिक रूप में लेने की प्रक्रिया डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तीस दिनों की अवधि के भीतर शुरू करेगा। इसके अलावा, डिमैट खाता बंद करने से न तो लाभार्थी स्वामी और न ही डीपी के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा और वे दोनों पक्षों के संतोषजनक पूर्णता तक लागू रहेंगे।

शुल्क के भुगतान में चूक

- 20. यदि लाभार्थी स्वामी द्वारा धारा 5 और 6 में उल्लिखित किसी भी राशि का भुगतान मांग की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो डीपी को लाभार्थी स्वामी का डिमैट खाता बंद करने के अधिकार के अलावा, डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर उस अवधि के लिए ब्याज वसूलने का अधिकार होगा।
- 21. यदि लाभार्थी स्वामी उपरोक्त धारा 5 और 6 में उल्लिखित किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीपी लाभार्थी स्वामी को दो दिन की सूचना देने के बाद, भुगतान (यदि कोई ब्याज हो तो उसके साथ) किए जाने तक लाभार्थी स्वामी के निर्देशों की प्रक्रिया को रोकने का अधिकार रखता है।

डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी

- 22. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार,
- 1. किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, यदि डिपॉजिटरी या प्रतिभागी की लापरवाही के कारण लाभार्थी स्वामी को कोई हानि होती है, तो डिपॉजिटरी ऐसे लाभार्थी स्वामी को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 2. जहां उपरोक्त धारा (1) के तहत प्रतिभागी की लापरवाही के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी द्वारा की जाती है, वहां डिपॉजिटरी को ऐसी राशि उस प्रतिभागी से वसूलने का अधिकार होगा।

खातों का फ्रीज/डीफ्रीज करना

- 23. लाभार्थी स्वामी, उप-नियमों और व्यापार नियमों/ऑपरेटिंग निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया और प्रतिबंधों के अनुसार, डीपी के पास रखे अपने डिमैट खाते को फ्रीज/डीफ्रीज करने का अधिकार रखता है।

- 24. डीपी या डिपॉजिटरी को किसी भी नियामक, न्यायालय या किसी वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लाभार्थी स्वामियों के खातों को फ्रीज/डीफ्रीज करने का अधिकार होगा।
- 25. संयुक्त धारक जानते हैं कि यदि किसी एक संयुक्त धारक के लिए कोई वैधानिक आदेश जारी होता है, तो डिमैट खाता फ्रीज हो जाएगा और अन्य संयुक्त धारकों को अपने संयुक्त स्वामित्व के हिस्से को डीफ्रीज कराने के लिए संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर आदेश जारी करने वाली प्राधिकरण से विशेष आदेश प्राप्त करना होगा।

निवेशक शिकायत निवारण

- 26. डीपी, लाभार्थी स्वामी की डीपी के खिलाफ सभी शिकायतों का निवारण शिकायत प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

अधिकृत प्रतिनिधि

- 27. यदि लाभार्थी स्वामी कोई कंपनी या कानूनी इकाई है, तो उसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ-साथ डीपी को अपने द्वारा अधिकृत अधिकारियों की सूची प्रदान करनी होगी, जो प्रतिभागी के साथ उसकी ओर से प्रतिनिधित्व और संवाद करेंगे। ऐसी सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जैसे कि जोड़ना, हटाना या संशोधन, तुरंत प्रतिभागी को सूचित किया जाएगा।

कानून और क्षेत्राधिकार

- 28. इस दस्तावेज़ में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अलावा, डीपी और लाभार्थी स्वामी को उन सभी अन्य अधिकारों का भी प्रयोग करने का अधिकार होगा, जो डीपी या लाभार्थी स्वामी को उस संबंधित डिपॉजिटरी के नियमों, उप-नियमों और विनियमों तथा उसके तहत जारी परिपत्रों/सूचनाओं या सेबी के नियमों और विनियमों के तहत प्राप्त हैं, जिसमें डिमैट खाता खोला गया है।
- 29. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचना, सेबी द्वारा जारी किसी भी नियम, विनियम, दिशा-निर्देश और परिपत्र/सूचना तथा उस संबंधित डिपॉजिटरी के नियम, विनियम और उप-नियमों के अधीन होंगे, जहां लाभार्थी स्वामी अपना खाता रखता है, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
- 30. लाभार्थी स्वामी और डीपी डिपॉजिटरी के उप-नियमों के तहत निर्धारित मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया का पालन करेंगे और ऐसी प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच किसी भी विवाद पर लागू होगी।
- 31. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, डिपॉजिटरी और/या सेबी द्वारा जारी नियमों, उप-नियमों, विनियमों और परिपत्रों/सूचनाओं में दी गई परिभाषा के अनुसार ही अर्थ दिया जाएगा।
- 32. सेबी/डिपॉजिटरी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को भी तुरंत ग्राहकों के संज्ञान में लाया जाएगा।
- 33. यदि सेबी के नियमों और विनियमों या संबंधित डिपॉजिटरी के उप-नियमों, नियमों और विनियमों में परिवर्तन के कारण इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों में कोई बदलाव होता है, तो ऐसे बदलावों को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों में संशोधन के रूप में शामिल माना जाएगा।

SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट स्टॉक ब्रोकर्स, सब-ब्रोकर्स और क्लाइंट्स के अधिकार और दायित्व एक्सचेंज/ एक्सचेंज

- 1. ग्राहक उन प्रतिभूतियों/ठेकेदारियों/अन्य उपकरणों में निवेश करेगा/व्यवहार करेगा जो एक्सचेंजों में कारोबार के लिए स्वीकार किए गए हैं, एक्सचेंजों/ सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के नियम, उपनियम और विनियमों तथा समय-समय पर जारी परिपत्र/सूचनाओं में परिभाषित के अनुसार।
- 2. स्टॉक ब्रोकरे, सब-ब्रोकर और क्लाइंट एक्सचेंज के सभी नियमों, उपनियमों तथा विनियमों के बंधे होंगे और उसके अंतर्गत जारी परिपत्र/सूचनाओं और SEBI के नियम और विनियमों तथा सरकार के अधिकारिक नोटिफिकेशन जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
- 3. ग्राहक स्टॉक ब्रोकरे के प्रतिभूतियों में कारोबार करने की क्षमता और/या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार करने की योग्यता पर अपनी संतुष्टि करेगा और स्टॉक ब्रोकरे के माध्यम से अपने ऑर्डर निष्पादन करना चाहता है, और क्लाइंट समय-समय पर इस क्षमता की पुष्टि करता रहेगा ताकि ब्रोकरे के माध्यम से ऑर्डर निष्पादन किया जा सके।
- 4. स्टॉक ब्रोकरे स्वयंस्फूर्त रूप से क्लाइंट की वास्तविकता और वित्तीय ताकत तथा सेवाओं से संबंधित निवेश उद्देश्यों की पुष्टि करता रहेगा।
- 5. स्टॉक ब्रोकरे इस बात की संपूर्ण जानकारी क्लाइंट को देंगे कि ब्रोकरे की व्यापारिक दायित्व किस प्रकार की होगी, उसकी कोई सीमाएँ क्या हैं, दायित्व क्या होंगे और ब्रोकरे किस क्षमताā में कार्य करता है।
- 6. सब-ब्रोकर सभी क्लाइंट-डिलिंग में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और स्टॉक ब्रोकरे के साथ सहयोग करेगा।

- 7. क्लाइंट सभी आवश्यक विवरण स्टॉक ब्रोकरे द्वारा "खाता खोलने फॉर्म" में पूर्ण रूप से देगा/देगी साथ में समर्थन के साथ विस्तार जो समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज/SEBI द्वारा अनिवार्य बनाए गए हैं।
- 8. 8. क्लाइंट खाता खोलने से जुड़ी सभी अनिवार्य धाराओं से स्वयं को परिचित करेगा/गी। स्टॉक ब्रोकरे द्वारा निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त धाराएँ/दस्तावेज़ गैर अनिवार्य होंगी, क्लाइंट द्वारा स्वीकारे गए शर्तों के अनुसार।
- 9. यदि खाता खोलने के समय दी गई खाता खोलने फॉर्म की जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो क्लाइंट तुरंत स्टॉक ब्रोकरे को लिखित में सूचित करेगा/गी और उसके बाद भी ऐसी जानकारी अपडेट करेगा/गी; इसमें परिसमापन याचिका/ दिवालियापन याचिका या ऐसी किसी भी कायदे-कानून से जुड़ी बहस शामिल हो सकती है जो उसकी क्षमता पर प्रभाव डाल सकती हो। क्लाइंट समय-समय पर वित्तीय जानकारी स्टॉक ब्रोकरे को देगा/देगी।
- 10. स्टॉक ब्रोकरे और सब-ब्रोकर क्लाइंट के सभी विवरण जिन्हें खाते खोलने फॉर्म में लिखा गया है या किसी अन्य दस्तावेज़ में लिखे गए हैं, वे सुरक्षित रखेंगे और/या क्लाइंट से जुड़ी अन्य जानकारी को गोपनीय रूप से रखा जाएगा और कानून/नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक होने पर ही कोई व्यक्ति/अधिकारिण को disclosure किया जा सकेगा। हालांकि स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट की स्पष्ट अनुमति पर क्लाइंट की जानकारी किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को disclose कर सकता है।
- 11. क्लाइंट लागू शुरुआती मार्जिन, होल्डिंग मार्जिन, स्पेशल मार्जिन या अन्य आवश्यक मार्जिन का भुगतान करेगा जिसे मान्य माना गया है स्टॉक ब्रोकरे या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना गया हो या SEBI द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया गया हो, क्लाइंट के ट्रेडिंग सेगमेंट के अनुसार। स्टॉक ब्रोकरे को स्वतंत्र discretion से अतिरिक्त मार्जिन वसूलने की अनुमति है (यह भी हो कि एक्सचेंज, क्लियरिंग होस/क्लियरिंग कॉरपोरेशन या SEBI द्वारा आवश्यक न हो) और क्लाइंट को निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिन का भुगतान करना होगा।
- 12. क्लाइंट समझता है कि मार्जिन का भुगतान सभी बकायों की पूर्ण संतुष्टि नहीं दर्शाता। लगातार मार्जिन चुकाने के बावजूद, उसके व्यापार के निपटान पर अनुबंध के अनुसार आवश्यक/अनुदिष्ट धनराशि का भुगतान करना/प्राप्त करना पड़ सकता है।
- 13. क्लाइंट कोई भी ऑर्डर खरीदने या बेचने के लिए, किसी सुरक्षा/डेरिवेटिव कॉन tract में लिखित रूप से या ऐसे फ़ॉर्म/तरीके में देगा/देगी, जैसा ग्राहक और स्टॉक ब्रोकरे के बीच आपसी सहमति से तय हो सकता है। स्टॉक ब्रोकरे सुनिश्चित करेगा कि क्लाइंट के ऑर्डर केवल उस क्लाइंट को आवंटित यूनिक क्लाइंट कोड में रखे जाएँ और क्लाइंट के ट्रेड निष्पादन हों।
- 14. स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट को ट्रेडिंग/निपटान चक्र, डिलीवरी/भुगतान आदि के बारे में सूचित और अपडेट रखेगा। समय-समय पर उनमें होने वाले किसी भी परिवर्तन के साथ, क्लाइंट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह व्यापार के निष्पादन के स्थान पर संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निर्धारण चक्र/प्रक्रियाओं का पालन करे।
- 15. स्टॉक ब्रोकरे यह सुनिश्चित करेगा कि क्लाइंट द्वारा जमा किया गया धन/प्रतिष्ठान एक अलग खाते में रखा जाए, जो उसके अपने खाते या किसी अन्य क्लाइंट के खाते से पृथक हो और अपने/उसके अपने खाते या किसी अन्य क्लाइंट के खाते से अलग रहे और स्टॉक ब्रोकरे द्वारा अपने लिए, किसी अन्य क्लाइंट के लिए या SEBI के नियमों, विनियमों, निर्देशों, दिशानिर्देशों तथा एक्सचेंज के नियम, उपनियम, परिपत्र/सूचनाओं के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 16. जहाँ एक्सचेंज(es) ने स्वतः ट्रेड रद्द कर दिए हों, क्लाइंट के पक्ष में किए गए ट्रेडों समेत सभी ट्रेड स्वतः रद्द माने जाएँगे, स्वतः-स्वयं रद्द हो जाएँगे, स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट के साथ संबंधित अनुबंधों को रद्द करने के हकदार होंगे।
- 17. एक्सचेंज पर निष्पादन किए गए लेनदेन नियमों, उपनियमों और विनियमों तथा जारी परिपत्र/सूचनाओं के अधीन होते हैं और जहां ट्रेड निष्पादित होता है, उन एक्सचेंजों की उनमें दी गई शर्तों के अनुसार, उस ट्रेड के सभी पक्ष उस न्यायालय के न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे जिसे एक्सचेंजों के नियम, उपनियम और विनियम तथा इनके अंतर्गत जारी परिपत्र/सूचनाएँ स्पष्ट करती हैं।

क्लाइंट सूचना

मार्जिन्स

लेनदेन और निपटान

ब्रोकरेज

- 18. क्लाइंट स्टॉक ब्रोकरेज तथा समय-समय पर प्रचलित वैधानिक शुल्क का भुगतान करेगा जो क्लाइंट के खाते, लेनदेन और स्टॉक ब्रोकरेज द्वारा क्लाइंट को दी जाने वाली सेवाओं पर लागू होते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज उन नियमों, विनियमों और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के bye-laws के अनुसार अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक शुल्क नहीं लेगा और/या SEBI के नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं।
- 19. स्टॉक ब्रोकरेज के अन्य अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना (विवाद को मध्यस्थता/arbiration के लिए संदर्भित करने के अधिकार सहित), क्लाइंट समझता है कि ब्रोकरेज क्लाइंट के मार्जिन या अन्य बकाया राशि चुकाने में विफल रहने आदि पर क्लाइंट की स्थिति/पदों को परिसमापित/क्लोज आउट करने, समायोजित करने का अधिकार रखेगा, यदि हो तो, क्लाइंट की देनदारियों/कर्तव्य के विरुद्ध। ऐसी परिसमापन/क्लोज आउट से होने वाले सभी नुकसान और वित्तीय शुल्क क्लाइंट पर आरोपित और क्लाइंट द्वारा वहन किए जाएंगे।

- 20. क्लाइंट की मृत्यु या दिवालियापन या अन्यथा क्लाइंट के प्राप्त करने, भुगतान करने, डिलीवरी या सिक्योरिटीज़ ट्रांसफर करने में असमर्थ होने की स्थिति में, जिसे क्लाइंट ने खरीदने या बेचने के लिए आदेश दिया है, स्टॉक ब्रोकरेज क्लाइंट के लेन-देन को क्लोज आउट कर सकता है और क्लाइंट के प्रतिष्ठान के विरुद्ध नुकसान का दावा कर सकता है, यदि हो। क्लाइंट या उसके प्रतिनिधि/विपणक/उत्तराधिकारी को वहां से बची हुई any surplus प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्लाइंट यह नोट करेगा कि Nominee के पक्ष में धनराशि/यूनिट्स का स्थानांतरण स्टॉक ब्रोकेरेज के लिए वैध discharge होगा against the legal heir.
- 21. स्टॉक ब्रोकरेज संबंधित एक्सचेंज को क्लाइंट द्वारा भुगतान/डिलीवरी में डिफॉल्ट और उससे संबंधित पहलुओं की जानकारी देगा। यदि डिफॉल्ट करने वाला क्लाइंट कॉरपोरेट इकाई/पार्टनरशिप/प्रायोरिटरी फरम या किसी अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई है, तो निर्देशक/Promoter/Partner/ Proprietor के नामों को भी स्टॉक ब्रोकरेज संबंधित एक्सचेंजों को सूचित करेगा।
- 22. स्टॉकब्रोकरेज क्लाइंट को संबद्ध एक्सचेंजों और SEBI के संबंधित संपर्क विवरण प्रदान करेगा।
- 23. स्टॉकब्रोकरेज क्लाइंट के द्वारा इसके माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के संबंध में शिकायतों के निवारण में सहयोग करेगा और बुरी डिलवरी के मुद्दों को दूर करने, बुरी डिलीवरी सुधार आदि में मदद करेगा।
- 24. क्लाइंट और स्टॉकब्रोकरेज जमा, मार्जिन आदि के संबंध में किसी भी दावे/विवाद को ट्रेड के क्रियान्वयन होने वाले एक्सचेंजों के नियम, बाइलॉज और विनियमों के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेंगे और समय समय पर जारी सर्कुलर/नोटिस के अनुसार लागू रहेंगे।
- 25. स्टॉक ब्रोकरेज उन सभी मध्यस्थता प्रक्रियाओं का तेज़ निपटारा सुनिश्चित करेगा जो उसके और क्लाइंट के बीच हुए लेनदेन से उत्पन्न होती हैं, और इन प्रक्रियाओं में दिए गए arbitral awards को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 26. क्लाइंट/स्टॉक-ब्रोकरेज समझते हैं कि विवाद समाधान के लिए अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देश, यदि कोई हों, क्लाइंट/स्टॉक-ब्रोकरेज पर वैधानिक रूप से बंधनकारी होंगे, जैसा कि उक्त प्रतिनिधि को क्लाइंट/स्टॉक-ब्रोकरेज की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया पत्र है।
- 27. स्टॉक ब्रोकरेज और क्लाइंट के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगा; यदि किसी कारण से ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य रहना बंद कर देता है, जिसमें सदस्यता समाप्ति ब्रोकरेज की चूक, मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के कारण भी हो सकता है या यदि बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।
- 28. स्टॉक ब्रोकरेज, सब-ब्रोकरेज और क्लाइंट एक दूसरे को कोई कारण बताए बिना भी एक महीने से कम नहीं लिखित नोटिस देकर भी इस रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी termination के बावजूद, इस रिश्ते के समाप्त होने से पूर्व किए गए लेनदेन से उत्पन्न सभी अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियाँ बनी रहेंगी और संबंधित पक्षों या उनके उत्तराधिकारियों/एग्जीक्यूटर्स/एडमिनिस्ट्रेटर/कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों पर बाध्य होंगी।
- 29. उप-ब्रोकरेजर के निधन/दिवालियापन या बोर्ड के साथ उसकी पंजीकरण रद्द/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उप-ब्रोकरेजर की मान्यता वापस लेने/Mandatory और Voluntary क्लाइंट पंजीकरण दस्तावेजों का termination, किसी भी कारण से, क्लाइंट को ऐसी termination के बारे में सूचित किया जाएगा और क्लाइंट को स्टॉक ब्रोकरेज का प्रत्यक्ष क्लाइंट माना जाएगा और स्टॉक ब्रोकरेज, उप-ब्रोकरेज और क्लाइंट के बीच अधिकार और कर्तव्यों के दस्तावेज/अनुच्छेद लागू रहेंगे, जैसे वे हैं, जब तक क्लाइंट स्टॉक ब्रोकरेज को लिखित नोटिस देकर अपने रिश्ते को समाप्त करने का इरादा स्पष्ट न कर दे, कम से कम एक महीने के नोटिस के साथ।
- 30. स्टॉक ब्रोकरेज क्लाइंट के हितों की सुरक्षा के लिए क्लाइंट के लाभांश, अधिकार या बोनस शेयर आदि के अधिकारों के बारे में सही सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो इसके माध्यम से routed लेनदेन के संबंध में हैं, और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो क्लाइंट के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला हो।
- 31. स्टॉक ब्रोकरेज और क्लाइंट समय-समय पर SEBI द्वारा जारी नियम, विनियम, बाइलॉज़, सर्कुलरों, नोटिसों और गाइडलाइनों के अनुसार खाता संशोधित और निपटान करेंगे, जहां ट्रेड किया गया हो।
- 32. स्टॉक ब्रोकरेज अपने अनुयायियों को ऐसे फ़ॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी करेगा जिसे समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें सभी लेनदेन का रिकॉर्ड होगा, जैसे ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के विवरण, क्लाइंट कोड, ब्रोकरेज, सभी शुल्क आदि।

स्थिति का परिसमापन और क्लोज आउट

विवाद समाधान.

संबंध समाप्ति

उपरोक्त अतिरिक्त अधिकार और दायित्व

और एक्सचेंज द्वारा निर्धारित के अनुसार भरने के लिए भीतर और भीतर उस प्रकार से और उसी समय के भीतर जो निर्धारित है, साथ ही साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरण उसी प्रकार भरकर जारी किए जाएंगे। स्टॉक ब्रोकरेज निवेशकों को ट्रेडों के क्रियान्वयन के एक कार्य-दिन के भीतर अनुबंध नोट भेजेंगे, हार्ड कॉपी और/या इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ।

- 33. स्टॉक ब्रोकरेज क्लाइंट को निधियों के भुगतान या सिक्योरिटीज की डिलीवरी, मामले के अनुसार, संबंधित एक्सचेंज से भुगतान प्राप्त होने के एक कार्य-दिन के भीतर करेगा जहाँ ट्रेड क्रियान्वित हुआ है, जब तक क्लाइंट द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो और समय-समय पर संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित शर्तों और परिस्थितियों के अधीन जहाँ ट्रेड क्रियान्वित हुआ है।

- 34. स्टॉक ब्रोकरेज प्रत्येक क्लाइंट के संबंध में फंड और सिक्योरिटीज दोनों के लिए एक पूर्ण 'स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स' निर्धारित आवधिकता और प्रारूप में, जहाँ ट्रेड क्रियान्वित हुआ है, समय-समय पर संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय-सीमा में भेजेगा। स्टेटमेंट में यह भी लिखा होगा कि क्लाइंट स्टेटमेंट में किसी भी त्रुटि की रिपोर्ट उस समय-सीमा के भीतर करेगा जो समय-समय पर संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित हो जहाँ ट्रेड क्रियान्वित हुआ है, प्राप्ति से स्टॉक ब्रोकरेजर तक।
- 35. स्टॉक ब्रोकरेज क्लाइंट्स को दैनिक मार्जिन स्टेटमेंट भेजेगा। दैनिक मार्जिन स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए, आदि के साथ, जमा किए गए सुरक्षा-आधार की विवरण, प्रयुक्त सुरक्षा-आधार और सुरक्षा-आधार की स्थिति (उपलब्ध शेष/क्लाइंट से बकाया) नकद, फिक्स्ड डिपॉज़िट रिसीप्ट्स (FDRs), बैंक गारंटी और प्रतिभूतियों के अनुसार ब्रेक-अप के साथ।
- 36. क्लाइंट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास आवश्यक कानूनी क्षमता है और स्टॉक ब्रोकरेजर के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है और वह यहाँ के अपने दायित्वों और उपक्रमों को निभाने में सक्षम है। सभी क्रियाएं जो उसके द्वारा प्रवेश किए जाने वाले लेन-देन की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, वे क्लाइंट द्वारा उस लेन-देन से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

स्टॉक ब्रोकरेज / स्टॉक ब्रोकरेज और डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्लाइंट को पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) या Demat Debit and Pledge Instruction (DDPI) निष्पादन के लिए मजबूर नहीं करेगा या PoA या DDPI निष्पादन से इनकार करने पर क्लाइंट को सेवाएं नहीं देगा।

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स (ECN)

- 37. यदि क्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नोट प्राप्त करना चुनता है, तो वह स्टॉक ब्रोकरेजर को ای उपयुक्त ईमेल-आईडी देगा। क्लाइंट ईमेल-आईडी में परिवर्तन क्लाइंट द्वारा भौतिक पत्र के माध्यम से ब्रोकरेजर को बताएगा। यदि क्लाइंट इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए चयनित है, तो ईमेल-आईडी परिवर्तन के लिए अनुरोध क्लाइंट-विशिष्ट यूजर-आईडी और पासवर्ड के सुरक्षित प्रवेश के माध्यम से किया जा सकता है।
- 38. स्टॉक ब्रोकरेज सुनिश्चित करेगा कि ईमेल के माध्यम से भेजे गए सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, गैर-छेड़छाड़ योग्य हों और IT Act, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप हों। यदि ECN को ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में भेजा गया हो, तो साथ में जो फ़ाइल है उसे भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित किया जाएगा, एन्क्रिप्ट किया जाएगा और गैर-छेड़छाड़ योग्य रहेगा।
- 39. क्लाइंट नोट करेगा कि स्टॉक ब्रोकरेजर द्वारा बाउंस हुए मेल नोटिफिकेशन के न मिलने पर भी क्लाइंट के ईमेल आईडी पर कॉन्ट्रैक्ट नोट की डिलीवरी मानी जाएगी।
- 40. स्टॉक ब्रोकरेज ECN और ईमेल की स्वीकृति को IT Act, 2000 की प्रावधानों के अनुरूप और SEBI / स्टॉक एक्सचेंज के समय-समय पर जारी नियम/विनियम/Circulars/गाइडलाइनों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके में सॉफ्ट और गैर-छेड़छाड़ योग्य रूप में बनाए रखेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया लॉग रिपोर्ट डिलीवरी का प्रमाण होगा जिसे स्टॉक ब्रोकरेज द्वारा निर्धारित अवधि तक SEBI / स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा नियमों के तहत संरक्षित रखा जाएगा। लॉग रिपोर्ट उन कॉन्ट्रैक्ट नोटों का विवरण देगी जो क्लाइंट को नहीं पहुँचे, ईमेल अस्वीकृत या बाउंस हुए। स्टॉक ब्रोकरेज सभी संभावित कदम उठाएगा ताकि सभी समयों में बाउंस हुए मेलों के नोटिफिकेशन की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, SEBI / Stock exchanges के मौजूदा नियमों के अंतर्गत।
- 41. वे क्लाइंट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट प्राप्त करने के बजाय भौतिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहते हैं, उन्हें स्टॉक ब्रोकरेज भौतिक मोड में कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी रखना जारी रखेगा। जहां ECN क्लाइंट तक नहीं पहुँचे हैं या क्लाइंट के ईमेल-आईडी द्वारा अस्वीकृत (मेल बाउंस) कर दिए गए हैं, वहां स्टॉक ब्रोकरेज क्लाइंट को निर्धारित समय के भीतर भौतिक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा और ऐसे डिलीवरी के प्रमाण को बनाए रखेगा। शारीरिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स।
- 42. क्लाइंट को ECN की ईमेल संचार के अलावा, स्टॉक ब्रोकरेज को अपने निर्दिष्ट वेबसाइट पर ECN को सुरक्षित तरीके से एक साथ प्रकाशित करना होगा, ताकि क्लाइंट्स तक प्रासंगिक पहुँच संभव हो और इसके लिए क्लाइंट को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड देना होगा, ताकि क्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट नोट सुरक्षित कर सके और/या उसका प्रिंट भी ले सके।
- 43. इस दस्तावेज में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अलावा, स्टॉक ब्रोकरेज, सब-ब्रोकरेजर और क्लाइंट ऐसे कोई अन्य अधिकार भी प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे जो क्लाइंट के चयनित एक्सचेंजों के नियम, बाय-लॉ और विनियमों तथा वहाँ जारी सर्कुलर/नोटिसों के अंतर्गत स्टॉक ब्रोकरेज या क्लाइंट के पास हो सकते हैं या SEBI के नियम और विनियम।
- 44. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकार की अधिसूचनाओं, SEBI द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश/सर्कुलर/नोटिस और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियम, विनियम और बाय-लॉ के अधीन रहेंगे, जहां ट्रेड क्रियान्वित होता है, जो समय-समय पर प्रभावी हो सकते हैं।
- 45. स्टॉक ब्रोकरेज और क्लाइंट आर्बिट्रेटर(स) द्वारा Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत दिए गए किसी भी पुरस्कार का पालन करेंगे। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर अपील का प्रावधान भी है, यदि किसी पक्ष को अरबिट्रेशन पुरस्कार से संतुष्टि न हो।

कानून और क्षेत्राधिकार

- 46. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनकी यहाँ पर परिभाषा नहीं दी गई है, यदि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो, Exchanges/SEBI के नियम, उपनियम और विनियम एवं इनके अधीन जारी परिसंचरण/नोटिसों में निर्दिष्ट समान अर्थ होंगे.

- 47. स्टॉक ब्रोकरे ने जो भी अतिरिक्त स्वैच्छिक धाराएं/दस्तावेज़ जोड़े हैं, वे एक्सचेंज/SEBI के नियमों/विनियमों/नोटिसों/परिपत्रों के साथ विपरीत नहीं होने चाहिए। ऐसी स्वैच्छिक धाराओं/दस्तावेज़ में परिवर्तन must be precede by 15 दिनों की नोटिस। एक्सचेंज/SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में किसी भी परिवर्तन को भी ग्राहकों के ध्यान में लाया जाएगा.

- 48. यदि SEBI के नियम एवं विनियमों या सम्बंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों और विनियमों में व्यापार के निष्पादन के स्थान के अनुसार परिवर्तन के कारण यहाँ पक्षों के अधिकार और दायित्वों में परिवर्तन किया जाए, तो ऐसे परिवर्तन यहाँ इस दस्तावेज़ में पक्षों के अधिकार और दायित्वों के संशोधन के रूप में समाहित माने जाएँगे.

INTERNET & वायरलेस टेक्नोलॉजी आधारित ट्रेडिंग सुविधा जो स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा क्लाइंट को प्रदान की जाती है ('Rights and Obligations' दस्तावेज़ में उल्लेखित सभी धारणाएँ लागू होंगी। इसके अलावा, यहाँ उल्लेखित धाराएँ भी लागू होंगी।)

- 1. स्टॉक ब्रोकरे इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) और वायरलेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए पात्र है, जिसमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप आदि ऐसे उपकरण शामिल हैं जो Internet Protocol (IP) का उपयोग करते हैं। स्टॉक ब्रोकरे SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा.

- 2. क्लाइंट प्रतिभूति में निवेश/ट्रेडिंग करना चाहता है और इसके लिए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा या वायरलेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रतिभूति ट्रेडिंग की सुविधा का उपयोग करना चाह रहा है। स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट को IBT सेवा प्रदान करेगा, और क्लाइंट स्टॉक ब्रोकरे की IBT सेवा का उपयोग करेगा, SEBI/Exchanges की प्रावधानों और स्टॉक ब्रोकरे के IBT वेबसाइट पर निर्दिष्ट शर्तों और स्थितियों के अनुसार, बशर्ते वे एक्सचेंज/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप हों.

- 3. स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट के समक्ष वायरलेस टेक्नोलॉजी इंटरनेट/स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से प्रतिभूति ट्रेडिंग से जुड़ी विशेषताएं, जोखिम, ज़िम्मेदारियाँ, दायित्व और जवाबदेहियाँ को साझा करेगा; यह क्लाइंट को ब्रोकरे के द्वारा सूचित किया जाएगा.

- 4. स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट को यह बताता है कि स्टॉक ब्रोकरे के IBT सिस्टम स्वयं शुरुआती पासवर्ड और इसके पासवर्ड नीति, एक्सचेंज/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार उत्पन्न होते हैं.

- 5. क्लाइंट यूज़रनेम और पासवर्ड को गोपनीय और सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक ब्रोकरे के IBT सिस्टम के माध्यम से क्लाइंट के यूज़रनेम और/या पासवर्ड का उपयोग करके दर्ज किए गए सभी ऑर्डर और किए गए लेनदेन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, चाहे वह व्यक्ति अधिकृत हो या नहीं हो। साथ ही क्लाइंट इस बात से अवगत है कि इंटरनेट ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीकें और कड़ी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, और वह यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट का पासवर्ड और/या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि का पासवर्ड किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न किया जाए, जिसमें कर्मचारियों और डीलरों सहित स्टॉक ब्रोकरे के अन्य लोग शामिल हैं.

- 6. अगर क्लाइंट अपना पासवर्ड भूल जाए, स्टॉक ब्रोकरे के IBT सिस्टम में सुरक्षा त्रुटि का पता चले, या अपने यूज़रनेम/पासवर्ड/खाते के माध्यम से अवैध पहुंच/हेरफेर के संदेह/पुष्टि के साथ ऐसी अवैध गतिविधि के पूर्ण विवरण, तिथि, तरीका और उससे प्रभावित लेनदेन आदि वहीं लिखित में स्टॉक ब्रोकरे को तुरंत सूचित करेगा.

- 7. क्लाइंट इंटरनेट/वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑर्डर रूटिंग सेवाओं के लिए जुड़ी जोखिमों से पूर्ण रूप से अवगत है और क्लाइंट अपने यूज़रनेम/पासवर्ड के जरिए की गई किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए पूरी तरह उत्तरदायित्व देगा.

- 8. क्लाइंट के अनुरोध पर स्टॉक ब्रोकरे ईमेल के माध्यम से ऑर्डर/ट्रेड पुष्टि भेजेंगे। क्लाइंट अवगत है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण वेब पोर्टल पर भी दिया जाता है। यदि क्लाइंट वायरलेस टेक्नोलॉजी से ट्रेडिंग कर रहा है, तो स्टॉक ब्रोकरे क्लाइंट के डिवाइस पर भी आदेश/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेंगे.

- 9. क्लाइंट को यह पता है कि इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं और जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, संचार लाइनें, पेरिफेरल आदि रुकावटों और विचलनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्टॉक ब्रोकरे और एक्सचेंज किसी भी समय बिना किसी अवरोध के क्लाइंट के लिए IBT सेवा की उपलब्धता का कोई वादा या वारंटी नहीं करते.

- 10. क्लाइंट स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज के.IBT सिस्टम या सेवा के किसी भी निलंबन, बाधा, अनुपलब्धता या malfunctioning के कारण एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकरे के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा; क्लाइंट/स्टॉकब्रोकर्स/एक्सचेंज के अंत में किसी लिंक/सिस्टम त्रुटि के कारण क्लाइंट के आदेशों के निष्पादन में असफल होने पर भी.